



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 247]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 6, 2000/चैत्र 17, 1922

No. 247]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 6, 2000/CHAITRA 17, 1922

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय
(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2000

का. आ. 358 (अ).—केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, तत्कालीन परिवहन मंत्रालय की दिनांक 4 फरवरी, 1957 की अधिसूचना सं. एस आर ओ 1181 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम सं. 2एफ के सामने कालम 2 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि शामिल की जाएगी अर्थात् :—

“त्रिपुरा राज्य में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 44 का खंड”

[फा. सं. एन एच-14012/2/97-पी एल (भाग I, वाल्यूम II)]

प्रफुल्ल कुमार, महानिदेशक (सड़क विकास) व अपर सचिव

पाद टिप्पणी : मूल अधिसूचना सं. एस आर ओ 1181 दिनांक 4-2-1957 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और पिछली बार दिनांक 6-3-2000 की अधिसूचना सं. का. आ. 195 (अ) के तहत संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT
(Department of Road Transport and Highways)
NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 2000

S. O. 358 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the then Ministry of Transport number S. R. O. 1181, dated, the 4th February, 1957, namely :—

In the Schedule to the said notification, against Sl. No. 2F, in column 2, for the entry, the following shall be substituted, namely :—

“So much of National Highway No. 44 as is situated within the State of Tripura”

[F. No. NH-14012/2/97-PL (Part I, Vol. II)]

PRAFULLA KUMAR, Director General (Road Development)

and Addl. Secy.

Foot Note : Principal notification published in the Gazette of India S. R. O. 1181, dated 4-2-1957 and last amended vide notification No. S. O. 195 (E) dated 6-3-2000.